

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 4002 /11-सी-FP/UP/Min/47074/2020, लखनऊ, दिनांक: जून 28, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अंतर्गत 294.082 हे० आरक्षित वनभूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अंतर्गत 50.606 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 344.688 हे० आरक्षित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

प्रस्ताव सं०:- FP/UP/Min/47074/2020

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-4933/मी०क्ष०/33, दिनांक 18.06.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 22.06.2021 को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:-

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा पैरा-(a) में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जबकि पैरा-(b) में उल्लंघन किये जाने का उल्लेख है, जोकि विरोधाभास है। अतः स्थिति स्पष्ट कर सही स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail एवं क्रमांक-15 में पूर्व का डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-221 पर संलग्न किये गये लीज अवधि प्रमाण पत्र में लीज अवधि 30 वर्ष का उल्लेख है, जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 के क्रमांक-A(x) में अवधि 10 वर्ष फीड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान अवधि का उल्लेख कर सम्बन्धित अभिलेख संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु संलग्न सूची के सारांश में व्यास वर्ग गलत अंकित किया गया है। अतः ऑनलाइन भाग-2 के अनुसार सही व्यास वर्ग में वैज्ञानिक नाम सहित सारांश प्रस्ताव में संलग्न करें तथा Additional Information Detail से पूर्व का डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
4. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
5. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र, जो मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं किया गया है।
6. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व, वनभूमि का क्षेत्रफल एवं गणना गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व, वनभूमि का क्षेत्रफल एवं सही गणना अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न मीरजापुर वन प्रभाग से सम्बन्धित 191.218 हे० गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण के प्राक्कलन में सेन्टेज चार्ज लिया गया है, जबकि कैमूर वन्यजीव प्रभाग से सम्बन्धित 32.926 हे० गैर वनभूमि एवं ओबरा वन प्रभाग से सम्बन्धित 121 हे० अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण के प्राक्कलन में सेन्टेज चार्ज नहीं लिया गया है। अतः परीक्षण कर सही प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें तथा पूर्व का प्राक्कलन ऑनलाइन से डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग में 235.737 हे० गैर वनभूमि दी जा रही है, जबकि प्रस्ताव में संलग्न मीरजापुर वन प्रभाग से सम्बन्धित उपयुक्तता प्रमाण पत्र में 191.218 हे० गैर वनभूमि का ही उल्लेख किया गया है, जोकि अपूर्ण है। अतः संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का डिलिट कर संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
9. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित नहीं है। अतः चिन्हित गजट नोटिफिकेशन ऑनलाइन अपलोड करें।

10. प्रस्तावित स्थल कैमूर वन्यजीव विहार Eco Sensitive Zone की परिधि से सटा हुआ एवं बाहर है, किन्तु कैमूर वन्यजीव विहार से सम्बन्धित Eco Sensitive Zone का गजट प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।
11. ऑनलाइन भाग-2 के District Profile में जिले का वन क्षेत्र एवं अन्य विवरण गलत फीड किया गया है। अतः हार्डकापी भाग-2 के अनुसार एक समान सही विवरण ऑनलाइन भाग-2 में फीड करे।
12. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में Tree for Tree and land for land के अंतर्गत जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 121 हे० अवनत वनभूमि का चयन कर के०एम०एल० फाइल अपलोड की गयी है, किन्तु 121 हे० अवनत वनभूमि के Present owner file में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र में दुगने अवनत वनभूमि का उल्लेख है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत सही प्रमाण पत्र अपलोड करें।
13. ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में अपलोड किया गया प्रभागीय वनाधिकारी का संस्तुति पत्र ओपन (open) नहीं हो रहा है। अतः पुनः अपलोड करें।
14. ऑनलाइन भाग-1 के क्रमांक-L (f), (g), (h) में 121 हे० अवनत वनभूमि के Present owner file में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र में दुगने अवनत वनभूमि का उल्लेख है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत सही प्रमाण पत्र अपलोड करें।
15. प्रस्ताव में मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० के नाम से प्रस्तावित वनभूमि पर खनन कार्य हेतु Approved Mining Plan संलग्न नहीं किया गया है।
अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियों प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराये, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 4002 /11-सी-FP/UP/Min/47074/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/मीरजापुर/कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
2. सी०ओ०ओ०, मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, यूनिट-डाला सीमेन्ट वर्क्स, एस०एच०-5 पोस्ट-डाला, जनपद-सोनभद्र।

28/6/21

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।